

Handwritten signature/initials

आपरेक्षण होना बताया है लेकिन प्रार्थना-पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज (रिकॉर्ड) पर नहीं है। वादीगण सं-1 तथा उनके अधिवक्ता दोनों न्यायालय में उपस्थित थे तथा उन्हें एकपक्षीय कार्रवाई की जानकारी होती हुई थी प्रार्थना-पत्र के साथ खारिज किया जावे। अधिवक्ता को पूर्ण रूप से एकपक्षीय कार्रवाई की जानकारी होती हुई थी प्रकरण में कोई स्थान नहीं दिया है, अतः जो कार्रवाई हुई, वह सही है। प्रार्थना-पत्र संख्य खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थना ने कथन किया कि विगत पेशी दिनांक 06.08.2015 को वादी सं. (3) वांकर पुत्र रामा बीमार था, इसलिये वादी सं. (3) तथा अन्य वादीगण तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके। वादी सं. (3) की बीमारी बाधत कसना नर्सिंग होम उदयपुर की मंडिकल रिपोर्ट, डिस्चार्ज टिकट आदि वादी सं. (3) प्रार्थी द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत कर रखी है। अधिवक्ता वादीगण (प्रार्थना) भी उक्त तारीख पेशी दिनांक 06.08.2015 को उदयपुर स्थित न्यायालय में अन्य न्यायिक कार्यों में व्यस्त होने से उपस्थित नहीं हो सके थे। अतः प्रार्थना ने निवेदन किया कि विगत तारीख पेशी दिनांक 06.08.2015 को वादीगण (प्रार्थना) तथा उनके अधिवक्ता अपरिहार्य कारणवश तथा मजबूरीवश न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे। वादीगण जान-बूझ कर या तापपरवाहीवश न्यायालय से अनुपस्थित नहीं रहे हैं। अतः न्यायहित में प्रार्थना-पत्र स्वीकार प्रकरण जावे तथा प्रकरण को पुनः नम्बर पर ले कर दो तरफा कार्रवाई करने का आदेश

अधिवक्ता विपक्षी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थना द्वारा गलत (defective) प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। वादीगण (प्रार्थना) का वाद दिनांक 06.08.2015 को वादीगण की अदम दायी व खारिज किया गया था जबकि प्रार्थना (वादीगण) द्वारा एकतरफा वाद सुनवाई (Exparte Order) की वाद सुनवाई (Exparte Order) का वाद दिनांक 06.08.2015 को वादीगण की अदम दायी व खारिज किया गया था, न कि वादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई (Exparte Order) के प्रस्तुत किया है। यह भी कि वादीगण (प्रार्थना) द्वारा एक माह से अधिक की अवधि उपरान्त दिनांक 15.09.2015 को यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि मियाद बाहर है। लेकिन इस विलम्ब अवधि को क्षमा करने हेतु वादीगण (प्रार्थना) द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि अनिवार्य था। विपक्षी अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थना द्वारा झूठे तथ्यों पर यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है क्योंकि एकतरफा तो प्रार्थना द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र की कलम सं. (3) में वादी सं. (4) निरधारणीय कं पेट का ऑपरेशन होने की वजह से उसके तथा अन्य वादीगण (प्रार्थना) के न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकने का कथन किया है लेकिन इसकी वजह से बहस में वादी सं. (3) वांकर पुत्र रामा की विगत तारीख पेशी दिनांक 06.08.2015 को बीमार होना बताया तथा प्रार्थना (वादीगण) द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के साथ मंडिकल रिपोर्ट, डिस्चार्ज टिकट भी साकरनाल का ही प्रस्तुत किया है, न कि वादी सं. (4) निरधारणीय का वादीगण का जैसा कि प्रार्थना-पत्र के कलम सं. (3) में वर्णित है। अतः में निवेदन किया कि वादीगण (प्रार्थना) का प्रार्थना-पत्र कानूनन मंटेनबल नहीं होने से तथा झूठे तथ्यों पर आधारित होने से खारिज करमाया जावे।

सहायक कलेक्टर
(बी.बी.सी.ए.)

निर्णय में द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

आदेश पत्रित किया गया था। स्पष्ट है वादीगण (प्रार्थीगण) को अपने प्रकरण को रेटोर करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा गलत (defective) शीर्षक/नियमों के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही को दोहरा कराने हेतु यह हिकैक्टिव प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि कार्रजन में नबल नही है। यह भी कि दिनांक 06.08.2015 को बाद खरिज हो जाने के 40 दिनों के बाद यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, लेकिन एक माह के पश्चात की विलम्ब अवधि को क्षमा करने हेतु वादीगण (प्रार्थीगण) द्वारा धारा 5 नियम अधिनियम के तहत कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नही किया गया है, जो कि कार्रजन अपक्षित था। यह भी कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र की कलम सं. (3) में वादी सं. (4) निरधाराला मी है की बीमारी की वजह से न्यायालय में नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नही हो पाने की मजबूरी अंकित की है जबकि दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वादी सं. (3) शंकर पुत्र रामा की बीमारी की वजह से न्यायालय में उपस्थित नही हो पाने का कथन किया है तथा प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप मेडिकल रिपोर्ट, डिस्चार्ज टिकट भी श्री रामा पुत्र शंकर का ही प्रस्तुत किया है, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है। स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों स्थितियां परस्पर विरोधाभासी है। प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के कलम सं. (3) में वर्णित बीमारी संबंधित तथ्य प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों (मेडिकल रिपोर्ट, डिस्चार्ज टिकट) से सिद्ध नही होते है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों व विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण (वादीगण) का यह प्रार्थना-पत्र कार्रजन में नबल तथा प्रमाणिक नही पाये जाने से खरिज किया जाता है।